उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या:- 71/2019/1667/छप्पन-2019-36/2016
लखनऊ, दिनांक: 21 अगस्त, 2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

कार्यालय ज्ञाप संख्या:-64/2018 /1211/छप्पन-2018-36/2016 दिनांक 21 जून, 2018 द्वारा श्री रूपेश कुमार सक्सेना की नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई उत्तर प्रदेश, लखनऊ में हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियंता के पद पर संविदा अवधि नियत मासिक पारिश्रमिक रूपए 1,83,750/- (रूपए एक लाख तिरासी हजार सात सौ पचास मात्र) एवं अनुमन्य वार्षिक वेतन वृद्धि पर दिनांक 14 अक्टूबर, 2018 से अग्रेत्तर 01 वर्ष (अर्थात दिनांक 14 अक्टूबर, 2018, से दिनांक 13 अक्टूबर, 2019 तक) के लिए बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2019 को समाप्त हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा पत्र दिनांक 27 मई, 2019 के माध्यम से इनकी संविदा अवधि वर्तमान पारिश्रमिक रूपए 1,92,938/- पर एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2011-17/2014, दिनांक 09 सितंबर, 2014 के अनुसार अनुमन्य 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि यथासमय करते हुए दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 से अग्रेतर 05 वर्ष बढ़ाये जाने का प्रस्ताव शासन के निर्णयार्थ उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई उत्तर प्रदेश, लखनऊ में हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियंता के पद पर श्री रूपेश कुमार सक्सेना की संविदा अवधि वर्तमान पारिश्रमिक रूपए 1,92,938/- एवं शासनादेश संख्या- 1422/छप्पन-2011-17/2014, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि करते हुए अग्रेतर 05 वर्ष (अर्थात दिनांक 14 अक्टूबर, 2019, से दिनांक 13 अक्टूबर, 2024 तक) के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- श्री रूपेश कुमार सक्सेना की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी।

4- श्री रूपेश कुमार सक्सेना से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर उसे शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

श्री रूपेश कुमार सक्सेना,
हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियंता, (संविदा सेवा)
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 71/2019/1667(1)/ छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री रूपेश कुमार सक्सेना से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- कार्मिक अनुभाग-1
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।